फर्द अहकाम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ, जिला जयपुर ग्रामीण

गुरूबक्ष बनाम सरकार वगै0

मा नं0 :– 256 / 2024

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
23.10.2024	पत्रावली पेश हुई। वकील उभय पक्ष उपस्थित। अप्रार्थी सं0 3 अनुपस्थित। अप्रार्थी सं0 3 को बार–बार आवाज लगवाई गई तथा इन्तजार किया गया। लेकिन उपस्थित नही। अतः अप्रार्थी सं0 3 के विरूद्व एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है। वकील अप्रार्थी सं0 2 ने जवाब पेश नही किया। अतः वकील अप्रार्थी सं0 2 का जवाब बन्द किया जाकर वकील उभय पक्षों की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली वास्ते आदेश हेतु दिनांक 24.10.2024 को पेश हों। उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ़	
24.10.2024	पत्रावली पेश हुई। वकील उभय उप0। पत्रावली आदेश में विचाराधीन है। पत्रावली का अवलोकन किया गया तथा वकील उभय पक्षों की बहस का मनन किया गया। वकील प्रार्थी ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में अंकित बिन्दुओ को दौहराते हुए बिन्दु सं0 1 में वर्णित भूमि खसरा नम्बर 233 रकबा 2.4700है0 वाके ग्राम दांतली, पटवार हल्का भावनी, तहसील आंधी की चारो तरफ (चारों दिशाओं) की मुकमिल पत्थरगढी करवाने का निवेदन किया। अतः पत्रावली में उपलब्ध प्रार्थी का प्रार्थना पत्र, पैरोकार सरकार के जवाब / रिपोर्ट एवं अन्य दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। अवलोकन करने पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राज0 भू–राजस्व अधि0 को स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार आंधी को आदेश दिया जाता है कि प्रार्थी की ग्राम दांतली, पटवार हल्का भावनी, तहसील आंधी, जिला जयपुर ग्रामीण में स्थित भूमि खसरा नम्बर 233 रकबा 2.4700है0 में यदि मौके पर फसल न हो एवं कोई स्थगन आदेश न हो तो प्रार्थीगणों एवं अप्रार्थीगणों की मौजूदगी में पत्थरगढ़ी की जाकर पालना रिपोर्ट भिजवावें। पत्थरगढी की आड में बेदखली की कार्यवाही नही की जावें। अगर किसी पडौसी खातेदार द्वारा आपत्ति करते है तो उन्हे सुनवाई का उचित अवसर प्रदान कर पत्थरगढी की कार्यवाही की जावें। निर्णय की प्रति तहसीलदार को भिजवाई जावें। निर्णय आज खुले न्यायालय मे सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद पूर्ति दाखिल दफ्तर हों। उपखण्ड अधिकारी ज[illegible] (ललित मीणा) उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ़	